

जनजातीय कार्य मंत्रालय
मांग संख्या 94
जनजातीय कार्य मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1684.69	12.33	1697.02	1684.70	11.43	1696.13	2070.99	12.55	2083.54
पूँजी		35.02	...	35.02	35.01	...	35.01	50.01	...	50.01
जोड़		1719.71	12.33	1732.04	1719.71	11.43	1731.14	2121.00	12.55	2133.55
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	1.00	6.95	7.95	1.00	7.15	8.15	1.50	8.07	9.57
मंत्रिपरिषद										
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण										
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण										
3. जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना	3601	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00
4. पीएमएस, पुस्तक बैंक और अ.ज.जा. के छात्रों की योग्यता उन्नयन की स्कीम	2225	1.25	...	1.25	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	3601	161.94	...	161.94	161.94	...	161.94	194.90	...	194.90
	जोड़	163.19	...	163.19	162.04	...	162.04	195.00	...	195.00
5. अनु. जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की स्कीम	2225	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	7.00	...	7.00
	3601	23.50	...	23.50	23.50	...	23.50	54.00	...	54.00
	जोड़	34.50	...	34.50	34.50	...	34.50	61.00	...	61.00
6. अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम (एनआईटीए)	2225	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
7. उत्कृष्टता/उच्चस्तरीय शिक्षा संस्थान योजना	2225	10.00	...	10.00	1.50	...	1.50	10.00	...	10.00
8. राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना	2225	1.00	...	1.00	0.23	...	0.23	2.00	...	2.00
9. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के अन्य कार्यक्रम	2225	119.79	5.22	125.01	111.80	4.12	115.92	149.53	4.32	153.85
	3601	67.00	0.14	67.14	85.42	0.14	85.56	225.45	0.14	225.59
	3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.01	...	0.01
	4225	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	187.01	5.36	192.37	197.43	4.26	201.69	375.00	4.46	379.46
राज्य आयोजना के लिए केंद्रीय सहायता										
10. जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	3601	816.71	...	816.71	816.71	...	816.71	900.00	...	900.00
11. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (i) के अधीन स्कीमों के लिए सहायता	3601	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	416.00	...	416.00
जोड़-राज्य योजनाओं को केंद्रीय सहायता		1216.71	...	1216.71	1216.71	...	1216.71	1316.00	...	1316.00
जोड़-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण										
सरकारी उद्यमों में निवेश										
12. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	4225	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	50.00	...	50.00
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ-परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	50.30	...	50.30	50.30	...	50.30	80.50	...	80.50
कुल जोड़		1719.71	12.33	1732.04	1719.71	11.43	1731.14	2121.00	12.55	2133.55
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
12. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	22225	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	50.00	...	50.00
	जोड़	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	50.00	...	50.00
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना										
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	451.70	...	451.70	451.70	...	451.70	723.00	...	723.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	50.30	...	50.30	50.30	...	50.30	80.50	...	80.50
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना		503.00	...	503.00	503.00	...	503.00	805.00	...	805.00
राज्य आयोजना										
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	416.00	...	416.00
2. जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	43601	816.71	...	816.71	816.71	...	816.71	900.00	...	900.00
जोड़-राज्य आयोजना		1216.71	...	1216.71	1216.71	...	1216.71	1316.00	...	1316.00
जोड़		1719.71	...	1719.71	1719.71	...	1719.71	2121.00	...	2121.00

1. यह व्यवस्था जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।
2. जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत पात्र संगठनों और संस्थानों तथा जरूरतमन्द व्यक्तियों को भी अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं।
3. इस योजना के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरक वातावरण में अनुसूचित जनजातियों हेतु जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना जैसी शैक्षिक सुविधाओं का संवर्धन करने के लिए राज्य सरकारों को समतुल्य अर्थात् 50:50 आधार (संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100%) पर सहायता-अनुदान दिया जाता है।
4. मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भारत के अंदर मान्यताप्राप्त संस्थाओं में मान्यताप्राप्त मैट्रिक के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी प्रतिबद्ध देनदारी के अलावा, जो उन्हें अपने संसाधनों से वहन करनी होती है, 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित वचनबद्ध देनदारी समाप्त कर दी गई है। पुस्तक बैंक की योजना का पीएमएस के साथ विलय कर दिया गया है। अभी यह पीएमएस का घटक है। योग्यता उन्नयन की योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अपने परिणाम सुधारने के लिए संबंधित विषयों में ऐसे कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करती है।
5. इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों व लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्यों को 50:50 आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और इसे अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों में साक्षरता के संवर्धन में प्रभावी साधन माना गया है।
6. योजना के तहत राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों इत्यादि के क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय जनजातीय संस्थान स्थापित किए जाने थे। लेकिन इस प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
7. इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों को, जो उत्कृष्ट संस्थानों में प्रवेश पाते हैं, शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
8. इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सिर्फ इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है।
9. यह प्रावधान अनुसूचित जनजाति के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय या अंतरराज्य प्रकृति की परियोजनाओं की सहायता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, ट्राइफेड को जनजातीय उत्पादों के संबंध में खुदरा विपणन विकास, कौशल उन्नयन, अनुसूचित जनजाति के दस्तकारों और लघु वन-उत्पाद संग्राहकों का क्षमता निर्माण तथा समूह निधि के सृजन के लिए समर्थन, लघु वन उत्पादों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारिता निगमों को सहायता अनुदान, जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षणिक कामप्लेक्स, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, संविधान के

अनुच्छेद 275(1) के दूसरे परंतुक के खण्ड(क) के अंतर्गत असम सरकार को अनुदान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति समूहों के विकास, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु शुरु की गई नई राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के अंतर्गत एम-फिल और पी.एच.डी. जैसी उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को फेलोशिप देने की व्यवस्था है।

10. यह कार्यक्रम 1974-75 में शुरु किया गया था। मंत्रालय राज्य की जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) को विशेष केंद्रीय सहायता देते हुए राज्य सरकार के प्रयासों को समर्थन देता है। टीएसपी को विशेष केंद्रीय सहायता का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र मूलरूप में टीएसपी की परिवार आधारित आय-सृजन गतिविधियों में महत्वपूर्ण अंतर को भरने के लिए था जिसका विस्तार करके रोजगार-सह-आय सृजन गतिविधियां और केवल परिवार आधारित अवसंरचना आनुषंगिक नहीं बल्कि समूह मार्ग के माध्यम से समुदाय आधारित भी शामिल किए गए हैं। टीएसपी को एससीए प्रदान करने का मूल उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में मांग-आधारित आय-सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और इस प्रकार जनजातियों के आर्थिक व सामाजिक स्तर को उठाना है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय 22 टीएसपी राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था करता है। यह कार्यक्रम भी टी.एस.पी. को विशेष केन्द्रीय सहायता शीर्ष के अन्तर्गत निधिपोषित होता है और इसे वन-ग्रामों के निवासियों के मानव विकास सूचकांक (एचडी.आई.) को ऊपर उठाने की दृष्टि से वन-ग्रामों के एकीकृत विकास हेतु और मूल सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने हेतु एककालिक उपाय के रूप में 2005-06 के दौरान शुरु किया गया; इन वन-ग्रामों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 11वीं योजना अवधि के दौरान इसे जारी रखा जा रहा है। इस समय 12 राज्यों में 2,474 वन ग्राम/निवास फैले हुए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, मूल सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित अवसंरचनात्मक कार्य का कार्यान्वयन शुरु किया गया है।"

11. इस प्रावधान के अन्तर्गत 22 टी.एस.पी. राज्यों और 4 जनजातीय बहुल राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं ताकि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य किए जा सकें और जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का सृजन किया जा सके और राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को राज्य के शेष हिस्सों में विद्यमान प्रशासन के स्तर तक लाया जा सके ताकि उन्हें शेष विकसित क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके। 2000-01 से, अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सहायता परियोजित की गई है और 2002-03 में नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

12. यह प्रावधान राज्यों के शेरपूजी निवेश में भागीदारी, विभिन्न राज्यों में राज्य जनजाति विकास निगमों की स्थापना, जो आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाओं के लिए अनुसूचित जनजातियों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त जुटाते हैं, के लिए है और राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य माध्यम एजेंसियों के जरिए अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की वित्तपोषण योजनाओं/परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) नामक एक निगम स्थापित किया गया है।

13. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु है।